

न्यायालय भूमि सुधार उप – समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 26 / 2024-25

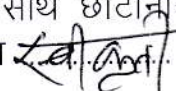
अनुसूची -14 फॉर्म सं०- 563

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
26/12/2024	आवेदक लुंदरु पहान, पिता सोमा पहान, जाति खड़िया, ग्राम सुकुरडा, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1"><thead><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr></thead><tbody><tr><td>सुकुरडा</td><td>131</td><td>155</td><td>630</td><td>1.09 एकड़ में से 0.05 एकड़</td><td>टांड</td></tr></tbody></table> कुल 0.05 (पाँच डिसमील) प्लॉट सं० 630 का चौहदी :- उत्तर में – कबर, उत्तर में – खुशबहाल का मकान, पुरब में – गिरजा घर, पश्चिम में – प्रदीप साहु का मकान। जमीन विक्रेता का विवरणी लुंदरु पहान, पिता सोमा पहान, जाति खड़िया, ग्राम सुकुरडा, थाना – बसिया, जिला–गुमला जमीन क्रेता का विवरणी अनुरंजन मिंज, पिता जोसेफ मिंज, जाति खड़िया, ग्राम सुकुरडा, थाना – बसिया, जिला–गुमला।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	सुकुरडा	131	155	630	1.09 एकड़ में से 0.05 एकड़	टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
सुकुरडा	131	155	630	1.09 एकड़ में से 0.05 एकड़	टांड									

(Handwritten signature)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता अनुरंजन मिंज, पिता जोसेफ मिंज, जाति खड़िया, ग्राम सुकुरडा, थाना - बसिया, जिला- गुमला से राशि 24,000/- (चौबीस हजार) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है।

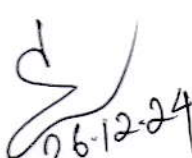
आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 586 दिनांक 06/12/2024 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति खड़िया के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक लुंदरू पहान, पिता सोमा पहान, जाति खड़िया, ग्राम सुकुरडा, थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 24,000/- (चौबीस हजार) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटान्नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा  प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।




26-12-24
भूमि सुधार उप - समाहर्ता
बसिया (गुमला)